

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या 38

सन् 2022

इन

ओ.ए. संख्या 165

सन 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

इंडेक्स

क्र. संख्या	विवरण / ब्यौरे	पृष्ठ
01.	आपत्ति पत्र	
02	नोटिस संख्या 33 / 2015-16, 34 / 2015-16 और 35 / 2015-16	3-4
02.	निर्माण रोको पत्र दिनांक 30.01.2020 विनोद वंशकार	8
03	निर्माण रोको पत्र दिनांक 21.09.2020 रमेश वर्मा	9
04.	अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिनांक 03.02.2022 अर्जुन सिंह	10
05.	हस्ताक्षर अभियान का शिकायती पत्र व फोटो	11
06.	राहुल राजपूत द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर दिनांक 12.01.2023	31-32
07.	माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज की एक साथ फोटो	33-34

दिनांक 06.03.2023

आवेदनकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

इ.ए. संख्या 38

सन् 2022

इन

ओ.ए. संख्या 165

सन 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

श्रीमानजी,

निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में राहुल राजपूत द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2023 पर निम्नलिखित आपत्ति है:-

1. यह कि राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों के **कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे-भरे पेड़ काटकर** अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू-माफियाओं को संरक्षण देने और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली-पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने वाले माननीय माननीय झांसी सदर विधायक जी के लिए अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू-माफियाओं से सांठगांठ कराने और रुपयों के लेन देन का कार्य करते हैं, तथा माननीय झांसी सदर विधायक जी ने ही नगर पार्क की भूमि पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अवैध निर्माण कर विकसित की जा रही कॉलोनियों को बचाने एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कीमती समय बर्बाद करने के उद्देश्य से राहुल राजपूत द्वारा उपरोक्त प्रकरण में भ्रामक, असत्य, मनगढ़ंत तथ्य अंकित करवाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2023 प्रेषित कराया गया है।
2. यह कि झांसी महायोजना 2001 एवं 2021 में झांसी महानगर के पर्यावरण को स्वच्छ/संतुलन बनाए रखने हेतु लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण मिलीभगत से कई व्यक्तियों और भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करते हुए पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिसकी कई वर्षों से लगातार शासन-प्रशासन एवं विकास प्राधिकरण में शिकायतें की जा रही हैं, अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू-माफियाओं से झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत होने तथा माननीय विधायक जी का दबाव होने के कारण उपरोक्त शिकायतों के क्रम में एक भी अवैध निर्माण कार्य न तो रोका गया है और न ही हटाया गया है।
3. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेशों के बावजूद झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करने के बजाए, झांसी प्रशासन द्वारा इन अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को बचाने की साजिश करते हुए नगर पार्क के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों के सम्पूर्ण तथ्य, सच्चाई छुपाकर, मात्र खानापूरी के नाम मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठे तथ्य अंकित करते हुए माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष बार-बार झूठी, मनगढ़ंत, भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही जिसके क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा पैरवी तथा आपत्ति दर्ज करते हुए सही तथ्य माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रेषित किए जा रहे हैं। जिसके कारण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों पर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू-माफियाओं को संरक्षण देने और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली-पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराने वाले माननीय विधायक जी और माननीय विधायक जी के लिए सांठगांठ कराने और रुपयों के लेन देन का कार्य करने वाले राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज हम याचिकाकर्ताओं से रंजिश रखने लगे और उक्त याचिका में पैरवी करने से रोकने के लिए साजिश के तहत हम याचिकाकर्ताओं पर जानलेवा हमला व झूठे मुकदमे दर्ज कराकर और झूठी शिकायत कराकर कार्यवाही कर दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी. एल भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव द्वारा उक्त याचिका में पैरवी करने से मना कर

दिया गया और उक्त याचिकाकर्ताओं ने मुझे भी परवी करने से रोकने के लिए दबाव बनाया तो मैंने कहा कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य इसलिए मैं अकेला ही उक्त प्रकरण में पर्यावरण को बचाने के लिए पैरवी करूंगा। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-01-2022 के बाद से ही केवल मिन याचिकाकर्ता ही अकेला पैरवी कर रहा है।

4. यह कि उक्त नगर पार्क में आरक्षित आराजी संख्या 752, 753, 754, 755, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840 आदि की भूमि को आवासीय के रूप में विभाजित कर भूखंड बेचे जा रहे थे और उन भूखंडों पर अवैध निर्माण किए जा रहे थे जिसकी कई शिकायतें करने के बाद दिनांक 20.07.2015 को झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से मात्र खानापूर्ति के नाम पर कुछ भूखंड बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत नोटिस सं. 33/2015-16, 34/2015-16 और 35/2015-16 जारी कर वाद दायर किए गए थे। इसके बावजूद उक्त नगर पार्क की भूमि को माननीय विधायक जी और अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय प्लॉट के रूप में बेचा/खरीदा व अतिक्रमण किया जा रहा है तथा कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे-भरे पेड़ काटकर अवैध निर्माण कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। और माननीय विधायक जी द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली-पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराए जा रहे हैं तथा अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही रोकी जा रही है।
5. यह कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर विनोद वंशकार द्वारा लगभग 50.00 वर्ग मी. भूमि के भूतल पर भवन निर्माण हेतु लगभग 8 फिट ऊंची दीवार खड़ी कर चिनाई का कार्य किया जा रहा था जिसे रोकने हेतु विकास प्राधिकरण ने मात्र कागजी कार्यवाही की औपचारिकता करने हेतु दिनांक 30.01.2020 को अवैध निर्माण रोको पत्र जारी किया था इसके बावजूद, विनोद वंशकार ने राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।
6. यह कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर आकाशवाणी झांसी में कार्यरत सरकारी कर्मचारी रमेश वर्मा द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे रोकने हेतु विकास प्राधिकरण ने मात्र कागजी कार्यवाही की औपचारिकता करने हेतु कई पत्र जारी किए गए। जिसका उल्लेख विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अवैध निर्माण रोको पत्र दिनांक 21.09.2020 में किया गया है, इसके बावजूद, रमेश वर्मा ने राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।
7. यह कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर अर्जुन सिंह द्वारा लगभग 25X50 क्षेत्रफल भूमि के भूतल पर भवन निर्माण हेतु दीवार खड़ी कर चिनाई का कार्य किया जा रहा था जिसे रोकने हेतु विकास प्राधिकरण ने मात्र कागजी कार्यवाही की औपचारिकता करने हेतु दिनांक 12.10.2021 को अवैध निर्माण रोको पत्र जारी किया था। जिसका उल्लेख विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अवैध निर्माण हटाओ आदेश दिनांक 03.02.2022 में किया गया है, इसके बावजूद, अर्जुन सिंह ने राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके उक्त निर्माण के साथ साथ अन्य कई निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।
8. यह कि उक्त नगर पार्क में प्रस्तावित की गई निजी भूमि के साथ-साथ कई एकड़ सरकारी भूमि (कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे-भरे पेड़ काटकर) पर कई व्यक्तियों ने माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके उक्त निर्माण के साथ साथ अन्य कई निर्माण कर लिया और बिजली, पानी का कनेक्शन लगवा लिया है।
9. यह कि झांसी महायोजना 2021 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायण बाग एवं समीप की आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से नगर पार्क के रूप में विकसित करने का उल्लेख किया गया है, उक्त नगर पार्क में प्रस्तावित की गई निजी भूमि के साथ-साथ कई एकड़ सरकारी भूमि (कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे-भरे पेड़ काटकर) पर कई व्यक्तियों ने माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज के द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। और इन अवैध कॉलोनियों में गैर कानूनी रूप से बिजली-पानी और

सड़क आदि के विकास कार्य माननीय विधायक जी द्वारा कराए जा रहे हैं तथा अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही रोकी जा रही है।

10. यह कि दिनांक 29.12.2022 को मा. विधायक जी के दबाव में साजिश के तहत जब नगर निगम के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर लक्ष्मी तालाब के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर और मस्जिद को हटाने की अवैध कार्यवाही करने पहुंचे तो माननीय विधायक जी के कहने पर राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज ने साजिश के तहत मीडिया ([Teesri Ankh तीसरी आँख](#)) में झूठा बयान दिया कि मंदिर और मस्जिद को हटाने की कार्यवाही मुझ प्रार्थी द्वारा कराई जा रही है ऐसे ही और कई गंभीर आरोप लगाए तथा राहुल राजपूत ने ये भी स्वीकार किया कि विधायक जी के निर्देशानुसार हम लोग एनजीटी गए जब भी पूरे पिछोर में किसी को भी नोटिस इशू किया गया है किसी को भी ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है माननीय विधायक जी ने ही जेडीए के अधिकारियों से बात करके उन्हें रोका है।

<https://fb.watch/j1jgDO41g1/?mibextid=NnVzG8>



Teesri Ankh तीसरी आँख • सब्सक्राइब करें • 🔔

29 दिस. 2022 • 🌐



आखिर झाँसी मे मंदिर और दरगाह को तोड़ने को लेकर बबाल क्यों हुआ !... और देखें



11. यह कि झाँसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क को अतिक्रमण से मुक्त व विकसित कराने को लेकर विद्वान अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं प्रार्थी ने मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाकर शिकायती पत्र शासन-प्रशासन को भेजा था। जिस पर कार्यवाही न होने पर समाजसेवी श्री गिरजा शंकर राय व एड. श्री बी.एल. भास्कर व श्री प्रदीप कुमार नामदेव एवं प्रार्थी ने मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में शिकायत की गई थी, उक्त शिकायत पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय व एड. बी.एल. भास्कर व नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किया गया है। तथा माननीय न्यायाधिकरण द्वारा नगर पार्क के साथ-साथ लक्ष्मी तालाब के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों का संज्ञान लेते हुए नगर पार्क और लक्ष्मी तालाब के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने के आदेश उक्त याचिका में पारित किए गए हैं।
12. यह कि सोशल मीडिया एवं शुभचिंतकों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय विधायक जी के कहने पर प्रशासन की मिलीभगत से राहुल राजपूत द्वारा दिनांक 12-01-2023 को थाना नबावाद झाँसी में याचिकाकर्ताओं समेत प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार पर झूठा मुकदमा 18/2023 दर्ज कर एवं जानसे मारने की धमकी देकर मिन याचिकाकर्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी करने से रोकने के लिए

याचिकाकर्ताओं से झूठे आरोप लगवाकर एवं झूठ मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देकर मिन याचिकाकर्ता दबाव बनाया जा रहा है तथा माननीय न्यायाधिकरण के ई-मेल आईडी पर झूठी शिकायतें करवाई जा रही है।

13. यह कि माननीय विधायक जी के कहने पर राहुल राजपूत द्वारा दिनांक 12-01-2023 को थाना नबावाद झांसी में दर्ज एफआईआर 18/2023 में माननीय न्यायाधिकरण पर एक पक्षीय आदेश करने का आरोप लगाया है। जब कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आख्या मगाकर पर्यावरण हित में आदेश पारित किए जा रहे हैं और इसके विपरीत माननीय विधायक जी और राहुल राजपूत एवं प्रशासन द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु बनाई गई योजनाओं के विरुद्ध कार्य कर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
14. यह कि पूर्व में भी प्रार्थी पर दबाव बनाने के लिए माननीय विधायक जी के कहने पर राहुल राजपूत, सुदीप दीक्षित उर्फ महाराज ने प्रशासन की मिलीभगत से अवैध निर्माणकर्ता विनोद वंशकार के द्वारा प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
15. यह कि मानचित्र स्वीकृत में खर्च होने वाले शुल्क को बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर पर्यावरणीय नियम-कानून, नीतियों व उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 का घोर उल्लंघन करते हुए झांसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क की भूमि को माननीय विधायक जी और अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय प्लॉट के रूप में बेचा/खरीदा व अतिक्रमण किया जा रहा है तथा कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे-भरे पेड़ काटकर अवैध निर्माण कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। जब कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा-15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
16. यह कि माननीय विधायक जी और अधिकारियों की मिलीभगत से जानबूझकर पर्यावरणीय नियम-कानून, नीतियों व उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 का उल्लंघन कर झांसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में बिजली-पानी और सड़क आदि के विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
17. यह कि महायोजनाओं में प्रस्तावित हरित पट्टी, पार्क, आदि अन्य जन सुविधाओं के हेतु प्रस्तावित भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हें हटाये जाने हेतु एवं हरित पट्टी, पार्क, आदि के भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाएं जाने का माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा बार-बार आदेश जारी किए जा रहे हैं एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लगातार शासनादेश जारी कर दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं। तथा झांसी विकास प्राधिकरण से बिना अनुमति एवं बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने पर उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अधीन कार्यवाही का प्राविधान है, इसके बावजूद भी झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त भूमियों के अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियों की रोकथाम और उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही करने के बजाये घूस/सुविधा शुल्क लेकर अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण और कॉलोनियां विकसित करायी जा रही हैं।

अतः श्रीमान जी, से निवेदन है कि राहुल राजपूत द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2023 को खारिज करते हुए झांसी महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क के अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों को हटाये जाने तथा उक्त नगर पार्क की भूमि (कुएं व जलमग्न भूमि पाटकर, हरे-भरे पेड़ काटकर) को आवासीय प्लॉट के रूप में बेचने/खरीदने व अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों और भू-माफियाओं तथा इन्हें संरक्षण देने एवं नियम कानून और आदेशों की अवज्ञा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धान्त (Pollutor Pays Principle) एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 06.03.2023

याचिकाकर्ता/आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा
(नरेन्द्र कुशवाहा)



झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

श्रीमती गीता देवी कुशवाहा
पत्नी श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा
निवासी- बाहर दतिया गेट,
झांसी (उ०प्र०)

संख्या 33 / जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015-16

दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं०- 836, 838, 839, झांसी (उ०प्र०)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे हैं/पूरा किया है।

मौजा पिछोर के गाटा सं०- 836, 838, 839 कुल 18 किता रकवा 4.010 हेक्टर भूमि पर बिना ले आउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से भू-खण्डों के रूप में विभाजित कर विक्रय किया जा रहा है। स्थल पर भूमि का भूखण्डों के रूप में विभाजित कर विक्रय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नहीं दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तों का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।

दिनांक 05-07-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी

0/ झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

नोट :- (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-14 के अधीन आवश्यक है।) जो रु० 50,000/- (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रु० 2500/- (पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहजा है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26(3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा-25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते हैं अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छह महीने तक कैद की सजा या जुर्मना जो एक हजार रु. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सन्तोष कुमार पत्रवाहक को इस आशय से वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी



झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

1. श्री के०आर० टोकसे पुत्र श्री राधाकिशन टोकसे
निवासी-होटल हाईवे के पीछे, सीपरी बाजार, झांसी।
2. श्री भगवानदास पुत्र श्री सुनके निवासी -ग्राम पिछोर झांसी।

संख्या 34 / जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015-16

दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं०- 826 से 843 तक झांसी (उ०प्र०)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे है/पूरा किया है।

मौजा पिछोर के गाटा सं०- 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, कुल 18 किता रकबा 4.010 हेक्टेयर भूमि पर बिना लेआउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से भू-खण्डों के रूप में विभाजित कर विक्रय किया जा रहा है। स्थल पर भूमि का भू-खण्डों के रूप में विभाजित कर विक्रय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नहीं दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तों का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।

दिनांक 05-8-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

नोट :- (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-14 के अधीन आवश्यक है।) जो रु० 50,000/- (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्माने के जारी रहने पर आगे रु० 2500/- (पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्माना पहली जुर्माना शुरू करने की सजा के बाद चालू रहजा है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26(3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा-25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते हैं अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप छह महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रु. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सन्तोष कुमार पत्रवाहक को इस आशय से वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चरपा की कार्यवाही करें।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी



झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

1. श्री धमेन्द्र कुमार व श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम नाथ निवासी-उजयान मोठ झांसी।
2. श्री हरीदास व श्री भगवान दास नि0- ग्राम पिछोर झांसी।
3. श्रीमती लीला पत्नी श्री कन्हैया लाल नि0- होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झांसी।
4. श्री के0आर0 टोकसे पुत्र श्री राधा किशन टोकसे नि0- होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झांसी।
5. श्रीमती यासीन पुत्र श्री वसीर नि0- 7481, शिवाजी नगर झांसी।
6. श्री अकरम पुत्र श्री यासीन नि0- 7481, शिवाजी नगर झांसी।
7. अब्दुल करीम उर्फ सूके पुत्र श्री हाजी खुराबख्श नि0-141 अन्दर उन्नाव गेट झांसी।

संख्या 35/जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015-16

दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं0- 753, 754, 753 818, 819, 820, झांसी (उ0प्र0) में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे हैं/पूरा किया है।

ग्राम पिछोर के गाटा सं0- 753, 754, 753 818, 819, 820, कुल किता 6 रकवा लगभग 1.882 हेक्टर भूमि पर बिना ले-आउट प्लान स्वीकृत करायें अवैध रूप से भू-खण्डों के रूप में विभाजित कर विक्रय किया जा रहा है। स्थल भूमि को भू-खण्डों के रूप में विभाजित कर विक्रय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नहीं दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तों का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।

दिनांक 05-07-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जायें।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

नोट :- (1) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं (प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-14 के अधीन आवश्यक है।) जो रु0 50,000/- (पचास हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्माने के जारी रहने पर आगे रु0 2500/- (पच्चीस सौ) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्माना पहली जुर्माना शुरू करने की सजा के बाद चालू रहजा है, के हिसाब से बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

(2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-26(3) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन यदि आप ऐसे व्यक्ति का जो अधिनियम की धारा-25 के अधीन किसी भूमि या भवन के अन्दर प्रवेश पाने का प्राधिकृत है, रोकते हैं अथवा प्रवेश के बाद उसके साथ दुर्यवहार करते हैं तो आप छह महीने तक कैद की सजा या जुर्माना जो एक हजार रु. तक बढ़ सकता है या दोनों के भागीदार होंगे।

उपरोक्त नोटिस की दो प्रतियां सन्तोष कुमार पत्रवाहक को इस आशय से वह सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस की तामीली कराये तथा न होने की दशा में नियमानुसार चस्पा की कार्यवाही करें।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी



झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

संख्या 255 / जे.डी.ए./अवैध निर्माण/(2019-20)

दिनांक: 30.1.2020

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,

थाना नवाबाद, झाँसी।

खण्डीय अवर अभियन्ता की अनाधिकृत विकास/निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 25.01.2020 के द्वारा सूचना दी गयी है कि नवाबाद, क्षेत्रान्तर्गत श्री विनोद वंशकार पुत्र श्री उत्तम सिंह पता-मौजा पिछोर, गुमनावारा, झाँसी (उ०प्र०) के द्वारा स्थल-मौजा पिछोर, गुमनावारा, झाँसी (उ०प्र०) में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 का उल्लंघन कर लगभग 50.00 वर्ग मी० भूमि पर भूतल पर भवन निर्माण हेतु लगभग 8'00 उँची दीवारें खड़ी कर ली गयी हैं एवं दीवारों पर चिनाई का कार्य कर अनाधिकृत विकास/निर्माण किया जा रहा है।

उपर्युक्त अनाधिकृत निर्माण/विकास के विरुद्ध प्राधिकरण में वाद सं०-255/19-20 संस्थित किया गया है। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.2.2020 नियत है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 28 (2) में निहित प्राविधानों के अधीन निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनाधिकृत विकास/निर्माण को तत्काल बलपूर्वक रुकवा दें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को लौटती डाक से अवगत भी करावें।

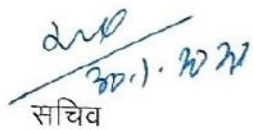

सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

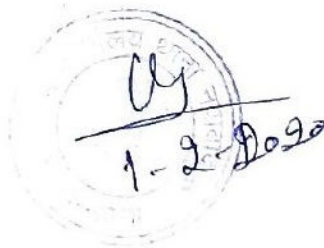
प्रतिलिपि-

1. क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि थाना पुलिस से समन्वय स्थापित कर निर्माण रुकवाना सुनिश्चित करें।




सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी





झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक:- 193 / जे0डी0ए0-अवैध निर्माण / 2020-21

दिनांक:- 21.09.2020

प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष
थाना-नवाबाद,
झाँसी (उ0प्र0)

श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार वर्मा, पता-पिछोर, थाना-नवाबाद, झाँसी द्वारा स्थल मौजा पिछोर, थाना-नवाबाद, झाँसी में अनधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन वाद संख्या-68/2018 झाँसी विकास प्राधिकरण बनाम् श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार वर्मा संस्थित करते हुये कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। तामीली कार्यवाही पत्रावली पर अवस्थित है।

उपरोक्त वाद में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 19.09.2020 को इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी कि निर्माणकर्ता श्रीमती गिरजा देवी द्वारा पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर आर0सी0सी0 के कॉलम खड़े किये जा रहे हैं। तथा निर्माण स्थल से हटते ही निर्माणकर्ता द्वारा पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है।

एतद्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(2) में निहित प्राविधानों के अधीन निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत स्थल पर किये जा रहे निर्माण/विकास कार्य को तत्काल बल पूर्वक रोके जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या से भी अवगत कराएं।

(त्रिभुवन विश्वकर्मा)
सचिव

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रतिलिपि:- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2-क्षेत्राधिकारी नगर(पुलिस), झाँसी को कार्यवाही हेतु।

3-क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, श्री घनश्याम तिवारी को उपरोक्त के क्रम में कार्यवाही हेतु प्रेषित।


21.9.20
सचिव
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

श्री अरुण सिंघ विकास प्राधिकरण, झौंसी

श्रव संख्या- 123-सचिव/2021-22

झौंसी विकास प्राधिकरण

बनाम-

श्री अरुण सिंह पुत्र श्री भगवान दास
पता-मुख्य मार्ग, ट्रांसफार्मर के पास,
महाराणा प्रताप नगर, पिछोर, झौंसी।

अन्तर्गत धारा 27 (1) उ०प्र० नगर
नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973

: निर्णय :-

क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की अनधिकृत निर्माण/विकास सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 16.10.2021 प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि निर्माणकर्ता श्री अरुण सिंह पुत्र श्री भगवान दास, पता-मुख्य मार्ग, ट्रांसफार्मर के पास, महाराणा प्रताप नगर, पिछोर, झौंसी द्वारा स्थल मुख्य मार्ग, ट्रांसफार्मर के पास, महाराणा प्रताप नगर, पिछोर, झौंसी में लगभग 25'x50' आकार के क्षेत्रफल में भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा एवं स्थल पर स्वीकृत मानचित्र न दिखाये जाने के कारण उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन कारण बताओं नोटिस व धारा 28 के अधीन करार्य रोको आदेश कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसका संज्ञान लेते हुए उक्त धरारा के अन्तर्गत श्रव संख्या-123-सचिव/2021-22 दर्ज करते हुए दिनांक 12.10.2021 को नोटिस जारी किया गया, जिसमें सुनवाई की तिथि 27.10.2021 नियत की गयी। निर्गत नोटिस की तामीला निर्माणकर्ता श्री अरुण सिंह द्वारा स्वयं की गयी। तामीली शुदा नोटिस कार्यवाही पत्रावली पर अवस्थित है।

नियत तिथि 27.10.2021 को विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। पुनः नियत तिथि 22.11.2021 को प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में बैनामा दिनांक 27.12.2008 एवं गृहकर जमा रसीद संख्या-160774/दि०-12.02.2021, विद्युत बिल जमा रसीद सं०-061663812271/दि०-22.05.2021 एवं जल संयोजन समान-पत्र सं०-2247/दि०-03.09.2020 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। तथा प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा अन्य कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।

भरे द्वारा पत्रावली पर उगतलध आख्या व अभिलेखों/आपत्ति एवं साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्री अरुण सिंह पुत्र श्री भगवान दास द्वारा प्रस्तुत बैनामा के अनुसार मौजा पिछोर की गाटा सं०-839 में निर्माण किया गया है। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की अनधिकृत निर्माण/विकास सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 16.10.2021 में प्ररगत स्थल का झौंसी महायोजना-2021 में भू-उपयोग "नगर पार्क" अंकित है। निर्माणकर्ता/प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे झौंसी विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग के प्रतिकूल अनुज्ञा प्रदान किया जाना नियमानुसार हो। तदनुसार विपक्षी द्वारा महायोजना-2021 में निर्दिष्ट भू-उपयोग के विरुद्ध नोटिस में वर्णित सम्पूर्ण निर्माण अवैध है, जिसे हटाया/गिराया जाना आवश्यक है।

- : आदेश :-

एतद्वारा मैं सचिव, झौंसी विकास प्राधिकरण उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम 1997 की धारा-27 (1) में अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि नोटिस संख्या 123/2021-22 में वर्णित सम्पूर्ण निर्माण/विकास कार्य को निर्माणकर्ता/प्रतिवादी आदेश की प्राप्ति प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर स्वयं हटा/गिरा लें अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को हटाने/गिराने की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लायी जायेगी। अवैध निर्माण को हटाए/गिराये जाने पर आने वाले व्यय को बकाया भू-राजस्व की भाँति विपक्षी/अवैध निर्माणकर्ता से वसूल कर लिया जायेगा। इस आदेश की एक-एक प्रति विपक्षी/अवैध निर्माणकर्ता, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन को अनुपालनार्थ तथा एक प्रति प्रभारी निरीक्षक, थाना नवाबाद को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

दिनांक-03.02.2022



TRUE COPY

Clerk, J.D.A.
JHANSI

(निमूना विशुद्ध)
सचिव

झौंसी विकास प्राधिकरण झौंसी

सेवा में,

दिनांक 2020

- 1 माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार।
द्वारा श्रीमान मंडलापुत्र महोदय, झांसी मण्डल, झांसी।
- 2 श्रीमान मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3 श्रीमान प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ. प्र. शासन।

विषय - झांसी महायोजना के अंतर्गत झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क की भूमि पर नगर पार्क विकसित करने के बजाय कराय जा रहे अवैध निर्माणों के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से झांसी महायोजना के अंतर्गत ऐतिहासिक लक्ष्मीताल के निकट आरक्षित किए गए नगर पार्क की भूमि पर झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नगर पार्क विकसित कराने के बजाय भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण / अवैध निर्माण करवाकर समस्त झांसी नगरवासियों को स्वस्थ वातावरण पाने के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है जिसकी ओर हम समस्त झांसी नगरवासी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत झांसी महायोजना 2001 एवं वर्तमान झांसी महायोजना 2021 के अंतर्गत झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से 84 एकड़ के ऐतिहासिक लक्ष्मीताल के निकट स्थित राजकीय उद्यान नारायण बाग को शामिल करके नारायण बाग से लगी हुई भूमि पर लगभग 460 एकड़ क्षेत्र को नगर पार्क के लिए आरक्षित किया गया है, झांसी महायोजना 2021 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया कि उक्त नगर पार्क की भूमि को पर्यावरण एवं पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। झांसी महायोजना में आरक्षित उक्त नगर पार्क की भूमि पर सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमण / अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसके संबंध में कई शिकायतें की गई इसके बावजूद झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण और झांसी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा न तो उक्त अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों के विरुद्ध रोकने व हटाने की कार्यवाही की जा रही हो और न ही उक्त नगर पार्क को विकसित किया जा रहा है। जब की झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण और झांसी नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर उक्त अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण / अवैध निर्माण कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में अवैध रूप से बिजली, पानी, रोड़ आदि का विकास कार्य कराकर झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क की महत्वपूर्ण झांसी महायोजना को प्रभावित कर झांसी के पर्यावरण को प्रदूषित युक्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।

....2

B. L. Bhasin
Advocate
Reg. No. 216/06

झांसी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के और महायोजना में अंकित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी भू उपयोग की भूमियों में अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनीयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जानबूझकर संबंधित विभागों के माध्यम से शासकीय योजनाओं के तहत पर्यावरण नियम कानून और नीतियों का उल्लंघन कर एवं सरकारी धन का दुरुपयोग कर अवैध रूप से झांसी महायोजना के तहत नगर पार्क में आरक्षित नारायण बाग से लगी हुई भूमि में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में नाली, सड़क व बिजली और पानी की सप्लाई के लिए विकास कार्य कराकर झांसी शहर के पर्यावरण को और झांसी महायोजना को प्रभावित कर रहे हैं। इस सम्बंध में अधिकारियों के समक्ष शिकायत पत्र भी प्रेषित किए गए हैं।

महायोजना और विनियमित क्षेत्रों में प्रस्तावित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी की भू उपयोग की भूमियों पर किये जा रहे एवं किये गए अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों की रोकथाम और हटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय और मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर किये गए वार्दों में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन व अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में उ. प्र. शासन की ओर से दिशा-निर्देश दिये गए एवं कई महत्वपूर्ण / नीतिगत शासनादेश जारी किये गए हैं, इसके बावजूद झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त नगर पार्क की भूमि पर किये गए व किये जा रहे अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों को न तो रोका जा रहा है और न ही हटाने कार्यवाही की जा रही है।

झांसी महायोजना के अंतर्गत नगर पार्क में आरक्षित नारायण बाग से लगी हुई उक्त भूमि में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर किए जा रहे अवैध निर्माणों का कारण पार्क, खुले स्थानों को उ. प्र. पार्क, प्लेग्राउण्ड और खुले स्थान (संरक्षण और विनियम) अधिनियम 1975 के अन्तर्गत अधिसूचित न करना व अवैध निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन प्रभावी कार्यवाही नहीं करना एवं नगर पार्क विकसित नहीं करना है। एक मामले में मा. उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-1495/2008 विवेक कुमार मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 22 अक्टूबर 2010 को पारित आदेश को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास को अधिनियम की धारा 3 का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था। इसी आदेश का पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन कराने हेतु शासनादेश संख्या-259रिट/नौ-7-11-14/7रिट/2010 नगर विकास अनुभाग-7 दिनांक 23 जून 2011 को उ. प्र. पार्क, प्लेग्राउण्ड और खुली जगह के विनियम और नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया था। परन्तु इस शासनादेश के अनुसार आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे ही एक और मामले में जनहित याचिका संख्या-42463/2015 कुमारी जोया जुनैद बनाम उ. प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई 2015 को पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं खुली जगहों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में निदेशक स्थानिय निकाय, उ. प्र. लखनऊ ने पत्र संख्या-3/246-2170/144-रिट/2015 दिनांक 21 मई 2016 के द्वारा उ. प्र. पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह (विनियम और नियन्त्रण) अधिनियम 1975 एवं नियमावली 2005 के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर सूची मांगी गई थी, परन्तु कोई वास्तविक कार्यवाही नहीं

....3

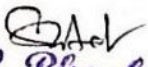
B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

हई। ऐसे ही एक मामले मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या - 380/2018 पार्क एवेन्यू प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम भारत संघ समेत अन्य में दिनांक 19 दिसंबर 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-डब्लू-09/08-3-19-206 विविध/2018 टी.सी. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 16 जनवरी 2019 को प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा विनियमित क्षेत्रों को अपने अपने अभिकरणों में प्रभावी महायोजना में अंकित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी भू उपयोग के अनुसार भूमि का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण गाटा संख्या खसरा संख्या, आंराजी संख्या जिले के जिलाधिकारी / स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराए जाने तथा तैयार की गई सूची को जन जागरूकता की दृष्टि से समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा जहां जहां पार्क व हरित पट्टी की भूमि स्थित हो पर होडिंग बोर्ड लगाया जाय तथा समस्त अभिकरणों द्वारा अपनी अपनी बेवसाइट पर भी अपलोड कराय जाने के निर्देश जारी किए गए थे, एवं प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत महायोजना में निर्धारित ग्रीन बेल्ट व पार्क भू उपयोग के विरुद्ध हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को रोकने हेतु तत्काल सर्वे कराकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। परन्तु झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से आज तक शासन के दिशा-निर्देश का और शासनादेशों का अनुपालन तथा क्रियान्वयन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही की गई है। इस सम्बंध में अधिकारियों के समक्ष शिकायत पत्र भी प्रेषित किए गए हैं।

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य लक्ष्मीताल के निकट झांसी महायोजना 2021 के अंतर्गत नगर पार्क के लिए आरक्षित की गई भूमि पर पार्क विकसित नहीं करने एवं उ. प्र. पार्क, खेल के मैदान और खेल के स्थान (संरक्षण और विनियम) अधिनियम 1975 के अन्तर्गत अधिसूचित न करने व नगर पार्क में आरक्षित उक्त भूमि पर बोर्ड न लगाने के कारण और झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भू माफियाओं से मिलीभगत होने के कारण ही नगर पार्क में आरक्षित उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करके एवं कराके झांसी महायोजना 2021 के विरुद्ध शहर के स्वरूप को विरुप करके पर्यावरण को विकृत किया जा रहा है।

श्रीमान जी यहां यह उल्लेखनीय है कि झांसी शहर के बच्चों के मानसिक विकास एवं बूज्गों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने और शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क में आरक्षित की गई भूमि में पार्क विकसित किया जाना अति आवश्यक है। यदि लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क में आरक्षित की गई भूमि में किए जा रहे अवैध निर्माणों को हटाकर नगर पार्क विकसित नहीं किया गया तो निश्चित ही नगर पार्क में आरक्षित की गई भूमि में अवैध प्लॉटिंग व अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के होसले बढ़ते जायेंगे और सरकार द्वारा झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से झांसी महायोजना 2021 के अंतर्गत आरक्षित किए गए उक्त नगर पार्क का उद्देश्य विफल हो जायेगा जिसके कारण झांसी का वातावरण प्रदूषित होता जायेगा और झांसी शहर के बच्चों के

....4


B. L. Bhaskar
 Advocate
 Reg. No. 216/06

मानसिक विकास एवं बजुर्गों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने का और शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने का संभव कार्य भी असंभव हो जायेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने का यह अधिकार संविधान में प्रदत्त है तथा सरकार एवं सरकारी एजेंसियां का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे नागरिकों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराएँ एवं पर्यावरणीय प्रदूषण होने के कारणों की पूर्व कल्पना करें और उनसे पर्यावरण की सुरक्षा करें।

अतः श्रीमान जी से निवेदन / प्रार्थना है कि शासन स्तर के उच्चाधिकारियों की एक जांच टीम गठित कर झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य लक्ष्मीताल के निकट झांसी महायोजना 2021 के अन्तर्गत नगर पार्क के लिए आरक्षित की गई भूमि पर किए गए एवं किए जा रहे अवैध निर्माणों को हटवाकर जनता के लिए सुन्दर नगर पार्क विकसित करवाएं एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने वाले और अवैध निर्माण करवाने में संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से प्रार्थीगणों को भी अवगत कराने की कृपा करें।

दिनांक 2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1 श्रीमान मंडलायुक्त / अध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।
- 2 श्रीमान जिलाधिकारी झांसी उत्तर प्रदेश।
- 3 श्रीमान उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।
- 4 श्रीमान नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम झांसी।
- 5 श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमान मंडलायुक्त / अध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।	
2	श्रीमान जिलाधिकारी झांसी उत्तर प्रदेश।	
3	श्रीमान उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण झांसी।	
4	श्रीमान नगर आयुक्त, झांसी नगर निगम झांसी।	
5	श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।	

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

5
झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
5	सरमत्त कुमार	नरेश
6	रमेश चंद	रमेश चंद
7	Harish Bhangava	Harish
8	Intizar Mehar	Intizar
9	Hemant Kumar Jha	Hemant
10	Harish chandra	Harish
11	राजेश कुमार गुप्ता	राजेश
12	बी.बी. सिंह	बी.बी. सिंह
13	सुनीता देवरी राव	Sunita Devi
14	सुनीता कुमार देवरी राव	Sunita Devi
15	शिवमंगल सिंह	Shiv Mangal Singh
16	सुनीता देवरी राव	Sunita Devi
17	राजेश कुमार गुप्ता	राजेश
18	शिवमंगल सिंह	Shiv Mangal Singh
19	Kapil Chaturvedi	Kapil
20	संजीव कुमार चौधरी	Sanjeev
21	Syed Hyrooz Ali	Syed
22	Pradeep vyas (Nar)	Pradeep
23	Manoj Kumar Singh	Manoj
24	Rishi Singh	Rishi

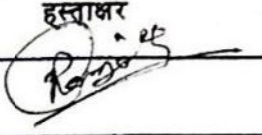
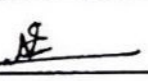
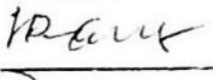
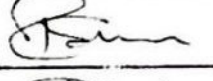
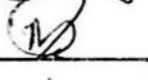
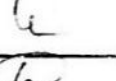
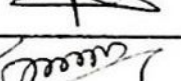
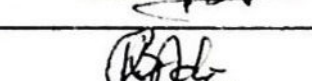
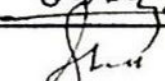
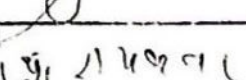
निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

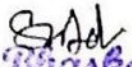
झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरम्भित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
25	अमित कुमार शर्मा	
26	R. S. Agrawal	
27	M. L. Shrivastava	
28	Nitesh soni	
29	विष्णु शर्मा	
✓ 30	पवन कुमार शर्मा	
✓ 31	सुदेश कुमार शर्मा	
✓ 32	मंगेश शर्मा	
✓ 33	Neel Mishra	
34	Chandrabhan	
✓ 35	Hary Shrivastava	
36	M. Prasad	
37	सुरेंद्र कुमार शर्मा	
38	उमेश कुमार शर्मा	
✓ 39	पुष्पेश्वर कुमार शर्मा	
✓ 40	Loken Shrivastava लोकेन्द्र शर्मा 250	
✓ 41	बाबू शर्मा	
42	हनुमान शर्मा	
43	अमल शर्मा	
✓ 44	मंगेश शर्मा	मंगेश शर्मा

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001


B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
44	चरनलोक शर्मा	
45	Y. K. N. D. G. A. L. (R. K. N. D. G. A. L.)	
46	K. C. Verma	
47	हनुमान	
48	श्याम सिंह	
49	गणेश कुमार बिपारी 25 2 20	
50	रमेश चन्द यादव 250	
51	Ch. G. S. R.	
52	राम कुमार सिंह 250	
53	अशोक कुमार सिंह	
54	पवन कुमार	
55	अरविन्द कुमार	
56	Dheeraj Patel	
57	ओम प्रकाश	
58	निखिल कुमार	
59	BABULAL KUSHWAHA	
60	अमर चन्द	
61	Pranod Kumar	
62	Ram Kumar	
63	राम सिंह	

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरम्भित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
64	रशीद फुरशी	Rashid
65	नदीम	28
66	Dev	देव
67	हसन	कुरशी
68	Snukhish	Snaimy
69	Abhishek Sharma	ABH
70	Abhinav Sharma	Abhinav
71	अविम जॉन्स	Avim
72	नन्द किशोर राव	nand
73	दशरथ साहू	दशरथ
74	दिनेश कुमार	Dinesh
75	अंकित पाल	Akit
76	सुरेश कुमार	सुरेश
77	राहुल वर्मा	राहुल
78	Rakesh Kumar	Rae
79	Mohit Keshyap	Mohit Keshyap
80	Imran Khan	Imran
81	Rohit	Rohit
82	राहुल कुमार	राहुल
83	Jayy Thakur	Jay Thakur

निवेसी - सम्पूर्ण झांसी नगरपाली जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

...19

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
84	MOHIT MISHRA 8853974734	Mohit Mishra
85	Prince Sen 6386153499	Prince Sen
86	Harsh Keshwari 7054202202	Harsh Keshwari
87	GIRJASHANICAR BAI 9935816550	Girjashanica
88	Shivam 8400340597	Shivam
89	manish kumar 8874089441	manish kumar
90	Md. Wagar	Wagar
91	Azhar	Azhar
92	Rahul Singh	Rahul Singh
93	रोहित	रोहित
94	Shoob	Shoob
95	Kalam	कलाम
96	Zaki	Zaki
97	रोहित	रोहित
98	Ravi	रवी
99	मनीष पांडे	मनीष
100	मोहन	मोहन
101	अर्पिता 9026264435	अर्पिता
102	Sandeep	संदीप
103	उदित	उदित

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

10

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
104	विट्ठल रामसहाय	विट्ठल
105	महेन्द्र लाल	महेन्द्र
106	ANKUSH KUSHWAHA	ANKUSH
107	Sumit Kumar	Sumit
108	अमन कुमार	अमन
109	वैजय कुमार	वैजय
110	Raj Kumar Sharma	Raj
111	विनायक कुमार	विनायक
112	ARVIND KUMAR	ARVIND
113	Rahul Ahirwar	Rahul
114	बाबू राम	बाबू राम
115	Vishal	Vishal
116	Shekhar	Shekhar
117	Shekhar	जमीर
118	जयराज	जयराज
119	इरानी	Ali W
120	दीपक	दीपक
121	शिवम झा	शिवम झा
122	मनीष	मनीष
123	Samir	Samir

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आयोजित किए गए नगर पार्क के संग्रह में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
124	Vinod Singh Yadav	Vinod
125	Ashish Sahu	Ashish
126	Shivam Sahu	
127	Ankur Mishra	Ankur Mishra
128	Dekendra Kumar	
129	उमेश सहिरवार	Umesh
130	Neha	Neha
31	जयशान्ति सिंह	जयशान्ति सिंह
132	विजय यादव	विजय यादव
133	जयशान्ति सिंह	जयशान्ति सिंह
34	Om Yadav	Om Yadav
135	Raj Purohit	Raj Purohit
136	Dhika Mansoori	Dhika
137	Anjali Khare	Anjali Khare
138	Rajneesh Kumar	Rajneesh
139	Raziel Puri	Raziel
140	Pahul Vishwakarma	Pahul
141	KRISHNA yadav	
142	Priyansu Yadav	Priyansu
143	Mohinav Sharma	Mohinav

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

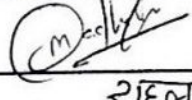
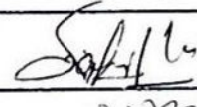
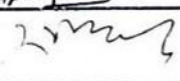
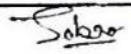
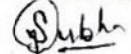
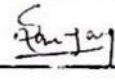
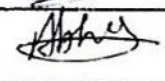
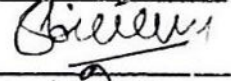
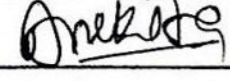
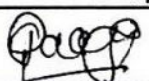
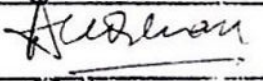
12

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

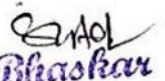
झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
144	Radhika Yadav	
145	राहुल मौरा	राहुल
146	Sanjay Singh	
147	राजीव वर्मा	Rajeev
148	रामनरेश यादव	रामनरेश
149	नरसिंह खान	
150	रविशंकर	
151	Sobhan Singh	
152	रमेश राम	Ramesh
153	Shybam Yadav	
154	संजय श्रीवास्तव	
155	सुरवीर मल्ल	
156	अश्वय	
157	ARPIT	
158	Shivani Yadav	
159	Ankita Yadav	
160	Anamika Sen	Anamika
161	Pooja Kishore	
162	Aruna malik	
163	Krishanpal Singh Yadav	

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001


B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

(13)

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरक्षित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
164	रोहित नाहर	Rohit.
165	KUMAR Gaurav	Gaurav
166	2. देवेंद्र ठाकुर	Devendra
167	कुमार राख	Ra
168	Sushu	Sushu
169	Deendra	Deendra
170	Sunil Kushwaha	Sunil
171	Ravikant	Ravikant
172	Raj	Raj
173	Sunil Singh	Sunil Singh
174	Nikhil	Nikhil
175	Aman	Aman
176	Aditya Ran 9453865605	Aditya Ran
177	Manish 9452166361	Manish
178	Y.K. SHARMA (Journalist)	Y.K. Sharma
179	शरोमणि सिंह रावत	Shromani Singh
180	पंकज कुमार मदनराव कच्छ	Pankaj Kumar
181	Ravindra Kumar	Ravindra
182	Fancy Khan	Fancy Khan
183	Sameer Khan	Sameer

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

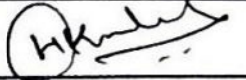
B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

14

शहरी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरम्भित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
184	Himanshu Kushwaha	
185	Aakash Kushwaha	आकाश
186	Sapan Yadav	Sapan
187	Chiku Røipoot	Røipoot
188	Sudhas	Sudhas
189	Bijayshu	Bijayshu
190	Abhay	Abhay
191	Devendra Kumar	Devendra
192	Prashant Parashkar	Prashant
193	Abhay Arya	Abhay
194	Bhannu Sahay	Bhannu
195	अश्विनी शर्मा	अश्विनी
196	अनुराग	अनुराग
197	मगननंदन	मगननंदन
198	वाकेश	वाकेश
199	Mullesh Kumar	Mullesh
200	Utkal Yadav	Utkal
201	अश्विनी शर्मा	अश्विनी
202	Atvirel Sahu	Atvirel
203	तुलसी अग्रवाल	तुलसी

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

23/10/20
M. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

15

झांसी शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से आरम्भित किए गए नगर पार्क के संबंध में शिकायत / प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण / शिकायतकर्तागण

दिनांक 23 अक्टूबर 2020

क्र.स.	नाम	हस्ताक्षर
204	Rakesh Tiwari	Rakesh
205	राजेश	राजेश
206	Rakesh	राजेश
207	पवन कुमार	पवन कुमार
208	Mohammad Rafiq	Mohammad Rafiq
209	Sajid Khan	Sajid Khan
210	Sohail	Sohail
211	Vijay Ar.	Vijay Ar.
212	Nasir Ali	Nasir Ali
213	D. Ramesh Kumar	D. Ramesh Kumar
214	Ravinder	Ravinder
215	Amir Dohat	Amir Dohat
216	कमलेश राय	कमलेश राय
217	रामवीर कुशवाह	रामवीर
218	उमेश कुमार विहारिया	उमेश कुमार
219	राहीश खान	राहीश खान
220	अशोक कुमार पटेल	अशोक
221	शहजाम अमी	शहजाम
222	मन्तर उमेश मन्तर	मन्तर
223	वी. एन. आर्कट एड. मन्तर वी. एल. आर्कट	वी. एन. आर्कट

निवासी - समस्त झांसी नगरवासी जिला झांसी उ.प्र. 284001

B. L. Bhaskar
Advocate
Reg. No. 216/06

RUC2040181N ITR:RUC2040181N

R. BHANSI H.O. (284001)

Counter No:3,06/11/2020,15:45

To:KSHETRY ADIKVARI, BHAGSI

PIN:284001, Bhansi H.O.

From:B.L. BHAGNAR, BHAGSI

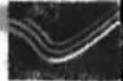
Wt:40gms

Amt:27.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 1800266666) (Wear Mask, Stay Safe)

भारतीय डाक



India Post

RUC20401341N ITR:RUC20401341N

R. BHANSI H.O. (284001)

Counter No:3,06/11/2020,15:45

To:MRADHA SACHIV, LUCKNOW

PIN:226001, Lucknow GPO

From:B.L. BHAGNAR, BHAGSI

Wt:45gms

Amt:32.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)

(Dial 1800266666) (Wear Mask, Stay Safe)

भारतीय डाक



India Post

RUC20402295N ITR:RUC20402295N

R. BHANSI H.O. (284001)

Counter No:3,06/11/2020,15:45

To:PRADIP SACHIV, LUCKNOW

PIN:226001, Lucknow GPO

From:B.L. BHAGNAR, BHAGSI

Wt:40gms

Amt:27.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)

भारतीय डाक



India Post

महाविद्यालयों की जांच के नाम पर हो रहा उत्पीड़न

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों ने विरोध में बंद की संस्थायें



प्रयोग हकीकत, झांसी

स्ववित्त पोषित बीएड, एवं डीएलएड महाविद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया शासन स्तर से महाविद्यालयों की छात्र वृत्ति के की जांच के आदेश दिये गये हैं। इसकी जांच के नाम पर महाविद्यालयों के प्रबंध तन्त्र का उत्पीड़न किया जा रहा है। छात्र वृत्ति के दस्तावेजों के साथ ही महाविद्यालयों के भू अभिलेखों, मान्यता सम्बन्धी पत्रावली, शिक्षकों की योग्यता, संख्या व अन्य विन्दुओं

की जांच मान्यता के समय ही कर ली जाती है। बार बार जांच करने से शासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मान्यता के बाद शासन को जांच का अधिकार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जांच कर तीन दिन में आख्या मांगी गई है। जांच में भी भेदभाव बरता जा रहा है। कुछ कालेजों को टारगेट बनाया जा रहा है तो कुछ को छोड़ जा रहा है। जांच में उर्ई व ललितपुर के कालेजों को छोड़ दिया गया है जबकि झांसी व बांदा के कालेजों को

निशाना बनाया जा रहा है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी स्तर पर अनेक एनओसी दो दो साल तक लटकी रहती हैं। इसी के विरोध में महाविद्यालयों की हड़ताल चल रही है। पत्रकार वार्ता में सीवीसिंह, डा. रामचन्द्र पटेल, डा. एस के साहू, डा. वैभव गुप्ता, डा. बाबूलाल तिवारी, देवेन्द्र बख्शी, डा. शरद खरे आदि मौजूद रहे। प्राइवेट कालेजों के महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया।

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं नहीं सुनी जाती

झांसी। उत्तर प्रदेशीय सफाई नगदूर संघ शाखा नगर निगम झांसी के जिलाध्यक्ष अशोक प्याल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि नगर निगम जनता एवं जनप्रतिनिधि सफाई कर्मचारियों से सफाई व्यवस्था के नाम पर तमाम अपेक्षाएं रखते हैं, परन्तु सफाई कर्मचारियों से विभिन्न समस्याओं से वास्तव में पर कोई आवाज नहीं उठता है। स्वयं सफाई कर्मचारी संघर्ष करता है और स्वयं समस्या से घिरा रहता है। इसके बाद भी सफाई कर्मचारी की ओर न तो जनता का न ही विधान और न जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाता है। अशोक प्याल ने कल कि नगर निगम कार्यालय के चपरासियों को सफाई हवलदार किस आधार पर बना दिया गया है जबकि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी बताई जाती है। सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति पर कुतर्क किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो अब बर्तन नहीं किया जायेगा। बैठक सियाराम मठैया, कुन्दलाल नेता, गुनलाल कटौतिया, सुभाष माते, सकेस कटौतिया, रामजीसरन, कैलाश, ओम प्रकाश बड़े, भगवानदास कटौत, प्रमोद पहलवान, माधव, शम्भू, नवलकिशोर, संजय पहलवान, जितेन्द्र विकी, राजेश, भूषा घंडरिया, विशाल, संदीप कंजरया आदि उपस्थित रहे। संचालन महेश पहलवान ने एवं आभार नरेश डगौर ने व्यक्त किया।

कार्य

डीआईजे
तत्काल मु
करने वे

प्रयोग हकी

झांसी थाना कोतवा
डेस्क शुरुआत का
कमिश्नर, आईजी
निकले उसी वक्त
आई और न्याय क
मामला सदर धान
महिला ने बताया
वालों ने उसे मारा
तेल डालकर जला
जिसकी शिकायत
में की लेकिन वह
नहीं हुई महिला था

कृति

महिल

एक्शन

काम

अभिनेत्री कृति

सीन्स को देख

कहना है कि

महिला-कैदी

पसंद करेंगी।

मैं एक फीमे

करूंगी। मैं न

पसंद करती हूँ

भी पसंद है। उ

हमेशा से एक

मैं कई तरह के

शामिल रही हूँ

बास्केटबॉल र

खो-खो भी र

को अपनी आ

इस ख्याति

मिला है। यह

पुलकित ससा

संजीदा शेख

झांसी आरक्षित नगर पार्कों को विकसित किया जाये

गणमान्य लोगों ने चलाया
हस्ताक्षर अभियान

प्रयोग हकीकत, झांसी

झांसी महानगर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना में आरक्षित किए गए नगर पार्क को शीघ्र से शीघ्र विकसित कराए जाने की मांग को लेकर कचहरी चौराहे पर बड़ी संख्या में झांसी शहर के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों लोगों एवं नगर वासियों ने शीघ्र से शीघ्र ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट स्थित नारायण बाग के पास आरक्षित नगर पार्क विकसित किए जाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें वरिष्ठ पत्रकार



रामसेवक अड़जरिया, राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, के.पी. श्रीवास्तव एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार अशोक कनौजिया, नरेन्द्र कुशवाहा पत्रकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता, अजय श्रीवास्तव एडवोकेट, सुनील कुमार पटेल एडवोकेट, संजीव कुमार चौधरी शहर अध्यक्ष अपना दल,

कुंवर बहादुर आदिम, पवन कुमार शर्मा, चंद्रभान आदिम एडवोकेट, सैयद अफरोज अली प्रदीप व्यास एडवोकेट, हनीफ खान पत्रकार, मनोज दुबे एडवोकेट, ब्रज गुरु, प्रभु दयाल कुशवाहा, मंगेश रायकवार, लोकेंद्र शर्मा एडवोकेट, ओम प्रकाश भोरीवाल एडवोकेट, सुरेंद्र श्रृंगार्षि

डीजल सहित बड़ी संख्या में हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर मुख्यमंत्री जिला प्रशासन के साथ-साथ झांसी विकास प्राधिकरण से मांग की है कि ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट नारायण बाग एवं समीप के आसपास की लगभग 460 एकल भूमि पर शासन द्वारा वर्ष 1984 में झांसी महायोजना में नगर पार्क बनाने की योजना स्वीकृत थी एवं शासन द्वारा 2001 और वर्तमान में झांसी महायोजना 2021 में भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से नगर पार्क बनाए जाने की योजना स्वीकृत है फिर भी इतने लंबे अंतराल के बाद भी नगर पार्क को विकसित नहीं करना सदेह की तरफ इशारा करता है इसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

स्वायत्ताधिकारी, मुद्रक प्रकाशक एवं प्रधान संपादक कमलेश गुप्ता द्वारा डीबी कार्प लिमिटेड 10-11 सेक्टर-बी, इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा भोपाल (म.प्र.) द्रत, एवं स्थानीय संपादक:- अशोक गुप्ता *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र है

की मोरंग खदानें

हाकी और डंडे से पीटकर अंधेड़ की हत्या

■ डगमगाने लगे करोड़ों की लागत से बने
स्थोढा पुल के पिलर

पडवार, आदि करीब दो दर्जन मोरंग खदानों से तकरीबन 250 टूक मोरंग रोज निकाली जा रही है, इसी तरह करतल, नरैनी इलाके से एमपी की बरियारी, बिदुआ पुरवा, बंशिया, और अजयगढ़ तहसील छेत्र की करीब 15 मोरंग खदानों से प्रतिदिन 300 टूक मोरंग बांदा की सड़कों से फतेहपुर, कानपुर, सुलतानपुर, रायबरेली, आदि जिलों को ले जाई जा रही है, मोरंग बने वाले टूकों के पास यूपी खनिज विभाग का कोई वैध प्रपत्र नहीं होता, सब पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को खुश करके मोरंग का कारोबार कर रहे हैं, यूपी की करोड़ों अरबों की लागत से बनी सड़कें ओवरलोड टूकों की धमाचौकड़ी से ध्वस्त की जा रही हैं, फयदा भ्रष्ट अधिकारी और मोरंग माफिया का हो रहा है।

बांदा। उधारी का रुपया लेने के लिए अंधेड़ ने कर्जदार युवक की साइकिल अपने पास रख ली। इस बात की भनक लगने पर आधा दर्जन लोगो ने घर जाकर अंधेड़ को हाकी और डंडों से पीट डाला। बचाने में पुत्र और पत्नी भी घायल हो गईं। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, वहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में अंधेड़ की मौत हो गई। जबकि घायल मां और बेटे का उपचार किया जा रहा है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दो नामजद हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

भागवत नगर निवासी 50 वर्षीय मथुरा प्रसाद यादव का मोहल्ले के ही संदीप दीक्षित से लेनदेन था। गुरुवार की रात

○ पुत्र की तहरीर पर हत्या का
मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार
○ बचाने में मृतक की पत्नी
और पुत्र भी घायल

संदीप साइकिल से हाइवे किनारे दुकान में सब्जी खरीदने आया था। वहां दुकान के सामने साइकिल खड़ी कर सब्जी खरीदी और पीछे मुड़ा तो उसकी साइकिल गायब थी। सब्जी विक्रेता ने संदीप को बताया कि मथुरा यादव उसकी साइकिल ले गया। संदीप अपने घर पहुंचकर बड़े भाई प्रदीप को बताया। इस पर प्रदीप और संदीप मथुरा के घर पहुंच गए और साइकिल ले जाने को लेकर बहस होने लगी। पलभर में ही लाठी-डंडों से मारपीट होने लगी।

शिनाख्त

मंगल में फांसी
के शव की
ने पंचनामा
ने स्टमार्टम के

लोगों ने केन
गे बबूल के
वक का शव
ते देखा तो
पर पहुंची
शव को नीचे
से शिनाख्त
शव की
लिस ने शव
तवा दिया।
परिजनों ने
शव की

आरक्षित नगर पार्क को विकसित किया जाए : राजेंद्र शर्मा

झांसी। आज झांसी नगर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना में आरक्षित किए गए नगर पार्क को शीघ्र से शीघ्र विकसित कराए जाने की मांग को लेकर कचहरी चौराहे पर बड़ी संख्या में झांसी शहर के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों लोगो एवं नगरवासियों ने शीघ्र से शीघ्र ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट स्थित नारायण बाग के पास आरक्षित नगर पार्क विकसित किए जाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रामसेवक अड़जरिया, राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, के.पी. श्रीवास्तव एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार अशोक कनौजिया, नरेन्द्र कुशवाहा पत्रकार एवं आर्टीआई कार्यकर्ता, अजय श्रीवास्तव एडवोकेट, सुनील कुमार पटेल एडवोकेट, संजीव कुमार चौधरी शहर अध्यक्ष अपना दल, कुंवर बहादुर आदिम, मंगेश रायकवार, लोकेन्द्र शर्मा एडवोकेट, ओम प्रकाश भोरीवाल एडवोकेट, सुरेंद्र श्रृंगार्षि डीजल सहित बड़ी संख्या में हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर माननीय मुख्यमंत्री



महोदय, जिला प्रशासन के साथ-साथ झांसी विकास प्राधिकरण से मांग की है कि ऐतिहासिक लक्ष्मी ताल के निकट नारायण बाग एवं समीप के आसपास की लगभग 460 एकल भूमि पर शासन द्वारा वर्ष 1984 में झांसी महायोजना में नगर पार्क बनाने की योजना स्वीकृत थी फिर भी इतने लंबे अंतराल के बाद भी नगर पार्क को विकसित नहीं करना सदेह की तरफ इशारा करता है इसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

चित्रकूट। जिलाधिकारी शेषमणि पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति व नीति आयोग के बिन्दुओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने पिछली बैठक की आख्या नहीं भेजी, वह तत्काल उपलब्ध करायें।

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने कहा कि जिले की रैंकिंग में कमी न आये। जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे को निर्देश दिये कि प्रत्येक बिन्दु की रैंकिंग पर फोकस किया जाये। जिस विभाग की प्रगति कम हो उसे पिरामल संस्थान व यूनीसेफ का सहयोग लेकर सुधार कराये। जिन विभागों को नीति आयोग ने धनराशि दी है उसका उपभोग प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराये। शिक्षा विभाग के बिन्दुओं ने प्रगति न होने पर बेसिक शिक्षाधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये। सीएमओ के बैठक में गैरहाजिर रहने पर जवाब-तलब के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की समीक्षा कर कहा कि लॉकडाउन अवधि का खाद्यान्न एवं परिवर्तन ब्लाक रामनगर में कम होने पर खण्ड शिक्षाधिकारी रामनगर से जवाब-तलब करने के निर्देश दिये। शहर व रामनगर ब्लाक की समीक्षा कर प्रगति





FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): झांसी P.S. (थाना): नवाबाद Year (वर्ष): 2023
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 12/01/2023 16:19 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	147
2	भा दं सं 1860	387

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

- 1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/01/2023 Time (समय): 16:19 बजे

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 039 Date and Time (दिनांक और समय): 12/01/2023 16:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 06 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): मु0 पिछोर गुमनावारा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री राहुल राजपूत

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री विजय सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7007923299

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	गिरजा शंकर राय			1. भट्टागाँव, सदर बाजार, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	नरेन्द्र कुशवाहा			1. पिछोर, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
3	मुन्नालाल कुशवाहा			1. पिछोर, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
4	अरविन्द कुशवाहा			1. पिछोर, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
5	वी०एल० भास्कर			1. सीपरी बाजार, सीपरी बाजार, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
6	प्रदीप नामदेव			1. मोठ, मोठ, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
7	अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी उप्र । विषय:- रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के सम्बन्ध में। महोदय, हम सभी लोग थाना नवाबाद अन्तर्गत पिछोर डियापुरा के निवासी है महोदय गिरजा शंकर राय निवासी भट्टागांव थाना सदर बाजार नरेन्द्र कुशवाहा निवासी-पिछोर थाना नबाबाद, मुन्ना लाल कुशवाहा निवासी पिछोर थाना नबाबाद, अरविन्द्र कुशवाहा निवासी- पिछोर थाना नबाबाद, बी एल भास्कर निवासी- सीपरी बाजार थाना सीपरी बाजार, प्रदीप नामदेव निवासी मोठ एवं अन्य लोगों ने एक गिरोह बनाकर पूरे गुमनावारा पिछोर इंडियापुरा को अवैध निर्माण बताते हुये सन् 2021 में माननीय एन0जी0टी0 कोर्ट में एक वाद दायर किया था जो गिरजा शंकर राय बनाकर उ0प्र0 सरकार है जिसमें हम मुहल्लेवासी वादी भी नहीं है जिसमें उन्होंने वहां से झूठे तथ्य पेश कर एक पक्षीय आदेश हम सभी मुहल्ले वासियों के खिलाफ कार्यवाही कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है उसी आदेश को दिखा दिखाकर यह सभी लोग घर-घर जाकर कहते है कि हमें 50-50 हजार रुपये दो नहीं तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा मैंने तुम लोगों मकान तुडवाने का एनजीटी से आदेश करा लिया है अगर तुम लोग उक्त रकम मुझे दे दोगे तो मैं पैरवी करना बन्द कर दूंगा अन्यथा तुम लोगों के मकान नहीं बचेंगे जिसकी वजह से मुहल्ले में निवासरत 1 श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव की हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो चुकी है एवं मुहल्ले में निवासरत सुदीप दीक्षित, विवेक कुमार रायकवार, वीर सिंह पाल, मिन्दू शिवहरे, रामकुमार झा, विनोद बेशकार उमेश नायक एवं अन्य कई लोगों के घर जाकर 50-50 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक- 12/01/2023 राहुल राजपूत पुत्र श्री विजय सिंह नि0- पिछोर गुमनावारा झांसी थाना नवाबाद झांसी। मो0न0-7007923299 नोट- टाइपशुदा प्रा0 पत्र की नकल मुझ का0मु0 938 अवधेश कुमार के द्वारा अक्षरशः की गई है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ROHIT KUMAR Rank (पद): उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक

No. (सं.): 182394342 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): SUDHAKAR
MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 902730379

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)







अवैध निर्माणकर्ता रसेश वर्मा जो आकाशवाणी झांसी में सरकारी पद पर कार्यरत है। रहूल राजपूत को कॉल कर रहा है।

